न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 326/2025

अपीलांट्स

1. रतनसिंह पुत्र स्व0 विरधसिंह
2. बलवन्तसिंह पुत्र स्व0 विरधसिंह
3. केसरसिंह पुत्र स्व0 विरधसिंह
4. मूलसिंह पुत्र स्व0 विरधसिंह

(जाति राजपुत, निवासी भारतसिंह चौहानों की ढाणी, भाखरपुरा, तह0 गुडामालानी, जिला बाडमेर)

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. जयसिंह पुत्र लालसिंह
2. राणसिंह पुत्र लालसिंह
3. बीरमसिंह पुत्र लालसिंह

(जाति राजपुत, निवासी भारतसिंह चौहानों की ढाणी, भाखरपुरा, तह0 गुडामालानी, जिला बाडमेर)

4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी, जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी (बाडमेर) आदेश कमांकः कोर्ट/2025/97 दिनांक 21.02.2025 अन्तर्गत धारा 131, 136 आरएलआर एक्ट

उपस्थिति –
1. श्री लाधुराम पूनिया, वकील अपीलांट्स
2. श्री शंकरलाल सिनावड़िया, वकील रेस्पो0 सं0 1 से 3
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक 7.01.2026

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0–प्रार्थी–राणसिंह ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील गुड़ामालानी के ग्राम भारतसिंह चौहानों की ढाणी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खारवा के हाल खसरा संख्या 505/1 रकबा 0.6475 हैक्टर किस्म गै0मु0स्कूल की तरमीम दुरूस्ती हेतु आग्रह किया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांकः राजस्व/2025/07 दिनांक 07.01.2025 द्वारा प्रेषित मौका जांच रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती का आदेश पारित किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

बहस सुनी गई। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलार्थी तहसील गुड़ामालानी के ग्राम भारतसिंह चौहानों की ढाणी के मूल खसरा नम्बर 505 के सह—खातेदार व काबिज काश्त है। उक्त खसरान में अपीलांट एवं प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 ने अपने हिस्से व कब्जे की 4 बीघा भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय खारवा के लिए 30 वर्ष पूर्व तहसीलदार के समक्ष समर्पण की थी। जिसकी समर्पणनामें अनुसार तरमीम कर दी गई थी, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा बदलकर अपीलार्थीगण के कब्जे वाले भाग में करने का आदेश दे दिया है। जो अपीलांट के अधिकारों पर कुठाराघात है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया। उक्त आदेश प्रत्यथी—राणसिंह द्वारा रा.प्रा.वि.खारवा की तरमीम दुरूस्त के प्रार्थना पत्र पर पारित किया गया है। मौके पर स्कूल भवन की चारदीवारी बनी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र न तो विधिवत रूप से दर्ज किया गया तथा न ही समर्पण करने वाले खातेदारान को पक्षकार बनाकर नोटिस दिया गया और न ही समर्पण का रेकर्ड मंगवाया गया। उक्त आदेश हल्का पटवारी की एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर पारित कर दिया गया, रिपोर्ट में समर्पित भूमि के आधे भाग में घर बना हुआ होने के आधार पर तरमीम बदलने का सुझाव गलत दिया गया है, जबकि उक्त तथाकथित घर समर्पण के बाद स्कूल के रकबे पर जबरदस्ती बनाया गया है। जो अवैध होने से हटाने की कार्यवाही की जानी चाहिए, इसके लिए स्कूल की भूमि दूसरे खसरे में डालने की कार्यवाही/आदेश पूर्णतया विधि एवं न्याय के सिद्धांतों के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर, स्कूल समर्पण भूमि की पूर्व तरमीम बहाल करने का आदेश फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब मे रेस्पो0 सं0 1 से 3 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रार्थी—रेस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में मौके पर निर्मित स्कूल भवन व चारदिवारी के अनुरूप तरमीम दुरूस्त करवाने का आग्रह किया गया था, जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी की जांच रिपोर्ट तलब की गई। उक्त

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

क्रम में तहसीलदार गुड़ामालानी के पत्रांक 07 दिनांक 07.01.2025 द्वारा प्रेषित मौका जांच रिपोर्ट व उसके संलग्न नक्शें में ख0नं0 505/1 की भूमि, मौके पर अवस्थित स्कूल भवन के अनुसार नक्शें में तरमीम दुरूस्ती हेतु प्रस्तावित की गई। जो मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार सही होने से अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 4 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार पारित किया गया है तथा मौका जांच रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय का अनन्य भाग रखा गया है। अपील के आधार बिन्दु सं0 6 में स्वयं अपीलांट का अभिकथन है कि तथाकथित घर समर्पण के बाद स्कूल के रकबे पर बनाया गया है, इस स्थिति में प्रार्थी–रेस्पो0 के प्रार्थना पर तबल की गई मौका जांच रिपोर्ट अनुसार, मौके पर अवस्थित स्कूल भवन के ख0नं0 505/1 की तरमीम दुरूस्ती का आदेश न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट सारहीन व औचित्यहीन पायी जाने से तद्नुसार खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (बाडमेर) द्वारा अन्तर्गत धारा 131, 136 आरएलआर एक्ट के तहत पारित आदेश क्रमांकः कोर्ट/2025/97 दिनांक 21.02.2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 7-1-2026. को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर